महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित

कन्या सुमंगला योजना

- लाभार्थी का परिवार उ0प्र0 मूल निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हों, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
- लाभार्थी का परिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रू0 तीन लाख हो।
- किसी परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
- लाभार्थी के परिवार का आकार (साइज) परिवार में अधिकतम दो बच्चें हो।
- किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी सन्तान के रूप में लड़की को लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें होती हैं तो ऐसी स्थिति में तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा।

लाभ

प्रथम श्रेणी	बालिका के जन्म होने पर	रू0 2000 एक मुश्त
द्वितीय श्रेणी	बालिका के एक वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त	रू0 1000 एक मुश्त
तृतीय श्रेणी	कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 2000 एक मुश्त
चतुर्थ श्रेणी	कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 2000 एक मुश्त
पंचम श्रेणी	कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 3000 एक मुश्त
षष्टम् श्रेणी	ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 12 वीं उत्तीण करके स्नातक अथवा दो वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया है।	रू0 5000 एक मुश्त

- यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक सन्तानों तथा विधिक रूप से ली गयी सन्तानों को सम्मलित करते हुए अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभर्थी होंगी।

आवेदन कैसे करें : आवेदन निर्धारित प्रारूप पर ऑफलाइन/ऑनलाइन दोनों माध्यम से किये जायेंगे।

आवेदन फार्म जमा करने एवं प्राप्त करने का स्थान :-

- खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में।
- उप जिलाधिकारी कार्यालय में।
- जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में।
- उप मुख्य विकास परिवीक्षा अधिकारी कार्यालय में।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें।
कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कलेक्ट्रेट-मऊ

जिला प्रोबेशन अधिकारी
मऊ

मुख्य विकास अधिकारी
मऊ

जिलाधिकारी
मऊ

महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

ऑठवा तल, जवाहर भवन, लखनऊ

कन्या सुमंगला योजना

बालिका के साथ आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज संयुक्त फोटो

नोटः बालिका के पंजीकरण हेतु सभी संलग्नकों के साथ स्वयं–सत्यापित व पूर्ण रुप से भरे गये फार्म ही स्वीकार किये जायेंगे।

यदि पहले से योजना का लाभ ले रहें हैं तो पहचान संख्या/परिवार आई0डी0/रसीद संख्या भरें।

(पंजीकरण रसीद अपलोड/संलग्न करें)

पहली बार आवेदन करने पर निम्न विवरण आयेंगे।

1. आवेदक का नाम ....
2. आवेदक का बालिका के साथ क्या संबंध है चुनें:
   - माता ( ) • पिता ( ) • अभिभावक ( )
3. बालिका का नाम (हिन्दी में) ....
4. बालिका का नाम (अंग्रेजी में) ....(कृपया नाम आधार कार्ड/फोटो पहचान पत्र/ जन्म प्रमाण पत्र/ विद्यालय सर्टीफिकेट के अनुरुप लिखें।
5. जन्म तिथि..जन्म का स्थान (जिला) ....
6. बालिका का माता का नाम ....
7. पिता का नाम ....
8. अभिभावक का नाम ....
9. क्या लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी है हाँ ( ) नहीं ( )
10. स्थायी पता ....
    ....जनपद का नाम ....
    पिन कोड ....(निवास) प्रमाण पत्र हेतु राशन कार्ड, आधार, वोटर आई0डी0,ड्राईविंग लाइसेंस,पासपोर्ट जीवन बीमा पॉलिसी, गैस कनेक्शन बुक, विद्युत बिल, जलकर रसीद, टेलिफोन बिल या बैंक पासबुक में से कोई एक संलग्न/ अपलोड करें संलग्न/ अपलोड करें)
11. वर्तमान पता ....
    जनपद का नाम .... पिन कोड ....
12. परिवार की वार्षिक आय रु0–3.00 लाख से कम है। हाँ ( ) नहीं ( )
13. परिवार में बच्चों की संख्या 2 या उससे कम है हाँ ( ) नहीं ( )
14. परिवार में कुल कितनी संताने है ....
15. श्रेणी:
    - अनुसूचित जाति ( )
    - अनुसूचित जनजाति ( )
    - अन्य पिछड़ा वर्ग ( )
    - सामान्य ( )
16. मोबाइल नं0 (यदि उपलब्ध हो) ....
17. परिवार की कितनी बालिकाये योजना का लाभ ले रही है ( )
18. लाभ लेने वाली कितनी बालिकायें : जैविक है ( ) गोद ली है ( )
19. यदि परिवार की 2 बालिकाये पहले से योजना का लाभ ले रही है और यह आवेदन तीसरी बालिका हेतु किया जा रहा हो तो संबंधित नियम स्पष्ट लिखें ....
20. आवेदक की आधार कार्ड संख्या ....
21. बैंक खाते का विवरण
    खाता धारक का नाम ....खाताधारक का बालिका से संबंध ....

खाता संख्या ....बैंक का नाम............................बैंक की शाखा व पता
....आई0एफ0एस0सी0कोड ....

निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र भी संलग्न/अपलोड करें–

- बैंक खाते में पासबुक की छाया प्रति
- फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड, पेंशनर फोटो आई0डी0 कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई0डी0, ड्राईविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो विभागीय पहचान पत्र में से कोई एक।
- निर्धारित प्रारुप पर शपथ पत्र।
- विधिक रुप से गोद लेने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- यदि माता या माता–पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र।

➢ किसी श्रेणी के लाभ हेतु आवेदन किया जा रहा है कृपया निम्न में से चुनें तथा आगे उसी श्रेणी से संबंधित प्रारुप भरें व जो लागू ना हो उसे छोड़ दें:

1– जन्म के बाद बालिकाओं का पंजीकरण। ( )
2– टीकाकरण पूर्ण करने वाली बालिकाओं का पंजीकरण ( )
3– कक्षा 1 में प्रवेश प्राप्त बालिकाओं का पंजीकरण।
4– कक्षा 6 में प्रवेश प्राप्त बालिकाओं का पंजीकरण। ( )
5– कक्षा 9 में प्रवेश प्राप्त बालिकाओं का पंजीकरण। ( )
6– स्नातक–डिग्री/2 वर्षीय मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं का पंजीकरण ( )

(पुनः श्रेणी विशेष (श्रेणी 1 / 2/ 3/ 4/ 5/ 6) में आवेदन करने पर निम्न विकल्प आयेंगे।

श्रेणी –1 : जन्म के बाद लाभ प्राप्त करने हेतु भरा जाए (यदि यह श्रेणी लागू हो तो भरें)

- जन्म प्रमाण पत्र की पंजीयन संख्या ....तिथि ....
- जन्म प्रमाण पत्र जारीकर्त्ता का विवरण ....
- जन्म कहाँ हुआ
  - संस्थागत प्रसव अस्पताल/नर्सिंग होम/स्वास्थ्य केन्द्र/एम्बयूलेन्स ( )
  - यात्रा के दौरान या अन्य किसी आकस्मिक परिस्थिति में ( )
  - घर/अन्यत्र किसी स्थान पर प्रशिक्षित कार्यकर्ता की देखरेख में ( )

निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करें जो लागू हो:

- जन्म प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारुप पर।
- संस्थागत प्रसव पंजीकरण (एम0सी0टी0एस0) का प्रमाण पत्र या माँ का स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण व टीकाकरण कार्ड या आशा/ए0एन0एम0 द्वारा उनकी देखरेख में हुए प्रसव हेतु किये गये प्रमाण पत्र में से कोई एक।

श्रेणी– 2: बालिका के पूर्ण टीकाकरण का विवरण चार्ट (यदि यह श्रेणी लागू हो तो भरें यदि पहले से योजना का लाभ ले रहे है तो पहचान संस्था/ परिवार आई0डी0 संख्या भरें.............................

उम्र	टीका	टीकाकरण की स्थिति	
जन्म के 24 घंटे के भीतर	हैपेटाईटिस–बी	हाँ	नहीं
जन्म के 15 दिन के भीतर	पोलियो		
जन्म से 1 वर्ष के भीतर	बी0सी0जी0		
6 सप्ताह/डेढ माह पर	पोलियो रोटा वायरस FLPV पी0सी0वी पैन्टावेलेन्ट		
10 सप्ताह पर (पहली खुराक के 4 सप्ताह के अंतराल /ढाई माह पर)	पोलियो, रोटा वायरस पैन्टावेलेन्ट		

14 सप्ताह पर (दूसरी खुराक के 4 सप्ताह के अंतराल/साढ़े 3 माह पर)			
09 माह पर	विटामिन ए. खसरा/MR डी0पी0टी0		

बालिका का नाम...उम्र.......................................
टीकाकरण कहाँ हुआ है (अस्पताल/क्लीनीक का नाम व पता स्पष्ट लिखें ....
....

निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करें जो लागू हो:

- बालिका का नवीनतम फोटो।
- बालिका का टीकाकरण/एम0सी0पी0 कार्ड संलग्न/अपलोड करें।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारुप पर ।

श्रेणी–3: कक्षा 1 में प्रवेशित बालिकाओं के हेतु भरा जाए (यदि यह श्रेणी लागू हो तो भरे) यदि पहले से योजना का लाभ ले रहें हैं तो पहचान संख्या/परिवार आई0डी0 संख्या भरें ....

- कक्षा ....
- विद्यालय का नाम एवं पता ....
- राजकीय ( ) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ( ) मान्यता प्राप्त ( )
- U-DISE (यू–डाइस) कोड भरें (यदि लागू हो) ....
- विद्यालय कोड भरें (यदि लागू हो) ....
- बालिका का आधार नंम्बर भरे (यदि उपलब्ध हो) ....

निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करें :–

- बालिका का नवीनतम फोटो।
- प्राचार्य द्वारा कक्षा 1 में प्रवेश देने हेतु जारी प्रमाण पत्र। अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन अनिवार्य होगा।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारुप पर ।

श्रेणी– 4: कक्षा 6 में प्रवेशित बालिकाओं के हेतु भरा जाए (यदि यह श्रेणी लागू हो तो भरें) यदि पहले से योजना का लाभ ले रहे है तो पहचान संख्या/परिवार आई0डी0 संख्या भरें ....

- कक्षा ....
- विद्यालय का नाम एवं पता ....
- राजकीय ( ) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ( ) मान्यता प्राप्त ( )
- U-DISE (यू–डाइस) कोड भरें (यदि लागू हो) ....
- विद्यालय कोड भरें (यदि लागू हो) ....
- बालिका का आधार नंम्बर भरे (यदि उपलब्ध हो) ....

निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करें :–

- बालिका का नवीनतम फोटो।
- प्राचार्य द्वारा कक्षा 6 में प्रवेश देने हेतु जारी प्रमाण पत्र। अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन अनिवार्य होगा।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारुप पर ।

श्रेणी–5: कक्षा 6 में प्रवेशित बालिकाओं के हेतु भरा जाए (यदि यह श्रेणी लागू हो तो भरें) यदि पहले से योजना का लाभ ले रहे है तो पहचान संख्या/परिवार आई0डी0 संख्या भरें ....

- कक्षा ....
- विद्यालय का नाम एवं पता ....
- राजकीय ( ) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ( ) मान्यता प्राप्त ( )
- U-DISE (यू–डाइस) कोड भरें (यदि लागू हो) ....
- विद्यालय कोड भरें (यदि लागू हो) ....

- बालिका का आधार नम्बर भरे (यदि उपलब्ध हो) ....

निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करें :–

- बालिका का नवीनतम फोटो।
- प्राचार्य द्वारा कक्षा 6 में प्रवेश देने हेतु जारी प्रमाण पत्र। अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम सं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन अनिवार्य होगा।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारुप पर

श्रेणी–6: स्नातक–डिग्री/2 वर्षीय मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स में प्रवेशित बालिकाओं के हेतु भरा जाए (यदि यह श्रेणी लागू हो तो भरें)

यदि पहले से योजना का लाभ ले रहे है तो पहचान संख्या/परिवार आई0डी0 संख्या भरें ....

- 12 वीं कक्षा कहाँ से उत्तीण की है, विद्यालय का नाम व पता..
  वर्ष ....बोर्ड का नाम ....
- स्नातक डिग्री या डिप्लोमा कोर्स का नाम...
  अवधि..........................(वर्ष) संस्थान का नाम व पता ....
- राजकीय ( ) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ( ) मान्यता प्राप्त ( )
- संस्थान कोड भरें ....
- बालिका का आधार नम्बर भरे (यदि उपलब्ध हो)

निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करें :–

- बालिका का नवीनतम फोटो।
- 12वीं कक्षा उत्तीण करने का प्रमाण पत्र/अंक पत्र।
- स्नातक–डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश शुल्क रसीद व परिचय पत्र।
- आवेदन पत्र संबंधित कालेज/विश्वविद्यालय के निदेशक/रजिस्ट्रार द्वार सत्यापित करके जिला विद्यालय निरीक्षक को अग्रसारित किया जायेगा।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारुप पर

कन्या सुमंगला पहचान संख्या/परिवार आई0डी0 की प्राप्त रसीद

बालिका का नाम...आवेदक का नाम..

स्थायी पता ....

आपका आवेदन स्वीकार किया जाता है, आगे की समस्त कार्यवाही हेतु आपका कन्या सुमंगला पहचान संख्या/परिवार आई0 डी0 है ....योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले सभी लाभों का विवरण निम्न है–

श्रेणी	लाभ कब प्राप्त होगा	लाभ (रुपये में)	लाभ प्राप्त होने की स्थिति
प्रथम श्रेणी	बालिका के जन्म होने	रु0–2000 एक मुश्त	आवेदन/प्राप्त/आगामी
द्वितीय श्रेणी	बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त	रु0– 1000 एक मुश्त	आवेदन/प्राप्त/आगामी
तृतीय श्रेणी	कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रु0– 2000 एक मुश्त	आवेदन/प्राप्त/आगामी
चतुर्थ श्रेणी	कक्षा छठी में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रु0– 2000 एक मुश्त	आवेदन/प्राप्त/आगामी
पंचम श्रेणी	कक्षा नवीं में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रु0– 3000 एक मुश्त	आवेदन/प्राप्त/आगामी
षष्टम	ऐसी बालिकायें जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक–डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो	रु0– 5000 एक मुश्त	आवेदन/प्राप्त/आगामी

शपथ -पत्र

(प्रारुप संख्या- 1)

शपथ पत्र 10 रुपये के स्टांप पेपर पर देना होगा

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री.......................................उ0प्र0 का निवासी हूँ मेरा स्थायी पता ....हैं व वर्तमान पता ....हैं मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि–

1. मेरे परिवार में मेरी पत्नी/पति/माता/पिता...(नाम) बालक/बालिका/भाई/बहन ....(नाम व अलग–अलग संख्या) हैं। मेरे परिवार में कुल बच्चों की संख्या ....हैं।
2. मेरे परिवार की वार्षिक आय रु0–3.00 लाख से अधिक नहीं हैं।
3. बालिका ....(नाम) मेरी /मैं ....(संबंध) है/ हूँ
4. बालिका के लिए वर्तमान में श्रेणी ....के के लिए आवेदन किया गया है तथा वह कक्षा .... में..................................(विद्यालय/संस्थान का नाम) में अध्ययनरत् है।
5. मेरे/मेरी परिवार द्वारा कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत इस बालिका को सम्मिलित करते हुए 2 से अधिक बालिकाओं हेतु न तो आवेदन किया गया हैं।

4. आवेदन पत्र व इस शपथ पत्र में मेरे द्वारा दिया गया समस्त विवरण मेरी जानकारी व विश्वास में पूर्णतया सही है।

(शपथी के हस्ताक्षर या बायें हाथ के अंगूठे के निशान)

नाम व पता